FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

गोविन्दा बनाम राजस्थान सरकार आदि

किस्म मुकदमा—स्थगन प्रा0पत्र   नम्बर—104——सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.25	अधिवक्ता प्रार्थी श्री एम.एल.गुर्जर उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26.12.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर दौसा	
26.12.25	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। दिनांक 22.12.25 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा विरूद्ध नामान्तरण सं0 343 दिनांक 121.12.2022 ग्राम बोरोदा के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें दिनांक 19.1.2026 वास्ते सुनवाई नियत है। अपील में प्रार्थी अपीलांट को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। जेर आज्ञा नामान्तरण दिनांक 12.12.2022 कतई विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया विरूद्ध है क्योंकि अपीलांट को सुने बिना समर्पण पत्र के आधार पर की गई है। अपीलांट द्वारा फर्जी बनावटी बोगस समर्पण पत्र रजिस्टर्ड के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ सैंथल व पुलिस थाना सैंथल इस्तगासा जैर तफ्तीश में एफ0आर0 पेश होने पर नाराजगी पिटीशन पेश की गई है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.12.2025 नियत है। रेस्पों0 / अप्रार्थीगण बसाज तहसीलदार ने पुख्ता डंडा दुकान निर्माण को दिनांक 15.12.2025 को तोडने बेदखल की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी पक्ष अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति की खातेदारी स्वामित्व की भूमि को हडपने, बेदखल कर भूमि संपरिवर्तन कराने पर आमादा है। अपील की सुनवाई में समय लगेगा आज आपात स्थिति उत्पन्न होने पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम से प्रतिबंधित फरमाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की सूरत में अपील का मकसद नहीं रहेगा तथा अन्य दावेजात उत्पन्न होकर प्रार्थी बरबाद हो जायेगा। प्रार्थी के साथ भारी हानि होगी। प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण है व भारी अपूरणीय क्षति उत्पन्न हो रही है। ऐसी सूरत में न्याय हित में अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा चाही जा रही है। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के हक में खसरा नंबर 303 रकबा 1.03है. में से समर्पण पत्र संलग्न शुदा में दर्शित नवीन खसरा नंबर 854 / 303 में से अपीलांट को बेदखल करने से व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने, रहन बय अन्तरण करने से अप्रार्थीयान को प्रतिबंतिध फरमाया जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। समर्पण पत्र दिनांक 21.11.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी गोविन्दा पुत्र श्योनारायण जाति रैगर निवासी बोरोदा के द्वारा ग्राम बोरोदा तहसील सैंथल स्थित खसरा नंबर 303 रकबा 1.03है. में से 783 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0रास्ता (सडक) बनाने के लिए राज्य सरकार के पक्ष में सर्पण करने हेतु 500 / — रूपये के स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किया गया है जिस पर तहसीलदार सैंथल के द्वारा आदेश कमांक:2532 दिनांक 1.12.2[illegible]रा 783 वर्गमीटर भूमि का समर्पणनामा सरकार के पक्ष में [illegible] दर्ज करने के आदेश पारित किये जाकर पटवपारी हल्का [illegible] संलग्न नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में [illegible] किये गये है। प्रथम [illegible] प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रा[illegible] के विपक्ष में तय किये जा[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। स्थगन प्रार्थना पत्र अपील के संलग्न रहे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो। जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official